



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9017

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40276 वर्ष 2025

सुबोध

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव साहनी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, महाबीर, राहुल कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आज सुबह आवेदक की ओर से मामले की सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। जब मामले की सुनवाई हुई, तो शिकायतकर्ता के अधिवक्ता पुनरीक्षित सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हुए, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से दो अधिवक्ताओं के नाम केस लिस्ट में दर्ज हैं, जबकि आवेदक के अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित दोनों अधिवक्ताओं को उनके मोबाइल नंबरों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सूचित किया था। आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज का प्रिंटआउट प्रस्तुत किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

2. हमने आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता (ए.जी.ए.) की बात सुनी और रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। उनकी पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 29.04.2024 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 24561/2023 में पारित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया था। आवेदक की जमानत याचिका स्वीकार होने के बाद, शिकायतकर्ता ने आपराधिक विविध जमानत याचिका दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया। जमानत रद्द करने का आवेदन संख्या 93/2025 (फिरराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) इस आधार पर कि आवेदक गवाहों को धमका रहा है और डरा रहा है, जिसकी जमानत रद्द करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2025 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ दिया गया था कि यदि शिकायतकर्ता गवाह संरक्षण योजना 2018 में निर्धारित प्रारूप पर उचित आवेदन प्रस्तुत करता है, साथ ही इस आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करता है, तो गवाह संरक्षण योजना, 2018 की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आज से एक सप्ताह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर, उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा, अधिमानतः ऐसे आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर, गवाह संरक्षण योजना 2018 के अनुसार। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 11.04.2025 को उपरोक्त जमानत याचिका पर पारित आदेश के अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध, शिकायतकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9082/2025 दायर की, जिसमें अनुमति देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.09.2025 के आदेश द्वारा उक्त आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए, उसमें पारित विवादित आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को इस न्यायालय को वापस भेज दिया, साथ ही यह निर्देश दिया कि जमानत रद्द करने के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार किया जाए, जांच अधिकारी से चाहत राम (अर्थात् उक्त मामले के गवाहों में से एक) द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के संबंध में उचित रिपोर्ट मंगाई जाए और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी से मंगाई गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाए। इसके बाद, जब उक्त जमानत रद्द करने का मामला रिमांड के बाद उठाया गया, तो इस न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 (आवेदक) को नोटिस जारी किया और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे उक्त जमानत रद्द करने के आवेदन के साथ संलग्न हलफनामे के पैरा 12, 13, 14 और 15 में उल्लिखित कथनों के संबंध में विशिष्ट निर्देश प्राप्त करें। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जब मामला 04.11.2025 को उठाया गया, तो आरोपी-आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे, इसलिए जमानत रद्द करने की अनुमति दी गई और आरोपी-आवेदक को दी गई जमानत 04.11.2025 के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस न्यायालय द्वारा पारित 04.11.2025 के आदेश के अनुसार, आवेदक ने 06.11.2025 को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके उक्त आदेश का अनुपालन किया, जिसे हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार तर्क दिया कि अब इस न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जमानत रद्द करने की अर्जी में उठाए गए आधार यह हैं कि इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के बाद आरोपी-आवेदक ने सूचनाकर्ता को धमकी देना शुरू कर दिया और मुकदमे के दौरान आवेदक और दो अन्य लोगों ने सूचनाकर्ता के भाई और भतीजे को गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में, सूचनाकर्ता के भाई चाहतराम ने 15.05.2024 को आवेदक और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 262/2024 में धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर 10.10.2024 को आवेदक ने सूचनाकर्ता के भाई को रोका और उसे मामले की पैरवी न करने की धमकी दी, विरोध करने पर उसके भाई को पीटा और गाली दी गई। इस घटना के संबंध में, सूचनाकर्ता ने दिनांक 12.12.2024 को मुकदमा अपराध संख्या 740/2024 में धारा 115(2), 352 के तहत आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अधिवक्ता साहब ने आगे दलील दी कि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जमानत रद्द करने की अर्जी में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए जमानत रद्द कर दी गई है। अधिवक्ता साहब ने आगे बताया कि उपरोक्त अंतराल के दौरान मुकदमा शुरू हो गया है, जिसे सत्र मुकदमा संख्या 749 वर्ष 2022 (राज्य बनाम सुबोध) के रूप में पंजीकृत किया गया है। अधिवक्ता साहब ने बताया कि आवेदक ने चाहतराम (मुकदमे के गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 2) को धमकी दी थी, इस घटना के संबंध में 15.05.2024 को आवेदक और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। अधिवक्ता साहब ने आगे बताया कि दूसरी एफ.आई.आर. 12.12.2024 को गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 2 चाहतराम द्वारा आवेदक के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक ने गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 2- चाहतराम को धमकी दी थी और उसके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 18.11.2025 के पूरक हलफनामे के पृष्ठ-33 पर इस न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि महत्वपूर्ण गवाह, पी.डब्ल्यू.2- चाहतराम की गवाही 01.06.2023 को शुरू हुई थी और उनकी जिरह 23.07.2023 को समाप्त हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि पी.डब्ल्यू.1/सूचनाकर्ता-फेरराम, पी.डब्ल्यू.2 यानी दिनेश उर्फ प्रवीण, पी.डब्ल्यू.4 यानी सुरेंद्र कुमार और पी.डब्ल्यू.5- राहुल की गवाही क्रमशः 23.05.2023, 25.07.2023, 16.11.2023 और 10.10.2023 को पहले ही पूरी हो चुकी है। इसी बात को साबित करने के लिए, पीडब्ल्यू संख्या 1 से 5 तक के गवाहों के बयान दिनांक 18.11.2025 के पूरक हलफनामे के पृष्ठ 11 से 88 पर मौजूद हैं। जबकि, पीडब्ल्यू संख्या 5, 6, 7, 8 और 9, जो औपचारिक गवाह हैं, उनके बयान भी पूरे हो चुके हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों पीडब्ल्यू - 1, 2, 3, 4 और 5 के बयान, पीडब्ल्यू - 2 चाहतराम द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने से पहले ही पूरे हो चुके थे। इसलिए यह तर्क दिया गया कि आवेदक के पास गवाहों को धमकाने या डराने और मुकदमे में अनुचित लाभ प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सूचनाकर्ता ने न केवल इस न्यायालय के समक्ष बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आदेश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि उसके विरुद्ध गंभीर संज्ञान लिया जाए। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक 6 नवंबर 2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महत्वपूर्ण गवाहों, अर्थात् पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.5 के बयान दो एफ.आर.आई. दर्ज होने से पहले ही पूरे हो चुके हैं, साथ ही समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक सुबोध को मुकदमा अपराध संख्या 137/2022, धारा 364, 302, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. विचारण न्यायालय आवेदक की रिहाई के बाद मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

12 जनवरी 2026

मुस्तकीम./शशि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।